प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 02.02.2026

कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम: यूपी-112 को मिले 07 नए दोपहिया वाहन

कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

यूपी-112 को मिले 07 नए दोपहिया वाहन, पुलिस अधीक्षक ने किया शुभ मुहूर्त में पूजन
यूपी-112 को मिली नई ताक़त

जनपद संतकबीरनगर में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, सशक्त एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय यूपी-112, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए गए 07 अदद दोपहिया बजाज पल्सर वाहनों का शुभ मुहूर्त में विधिवत पूजन पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह*, क्षेत्राधिकारी कार्यालय *श्री अजय सिंह*, प्रभारी यूपी-112 *श्री राहुल सिंह यादव* पीआरओ पुलिस अधीक्षक *श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय* सहित यूपी-112 से जुड़े अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूजन उपरांत सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर यूपी-112 आपातकालीन सेवा के संचालन हेतु रवाना किया गया । इन दोपहिया वाहनों को विशेष रूप से शहरी एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैनात किया जाएगा, जिससे आपात स्थितियों में रिस्पॉन्स टाइम को और कम किया जा सके। इस क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद को 02 अदद वाहन, थाना बखिरा को 01 अदद वाहन, थाना मेहदावल को 02 अदद वाहन, थाना धर्मसिंहवा को 01 अदद वाहन, थाना महुली को 01 अदद वाहन प्रदान किया गया । पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि इन नए दोपहिया वाहनों के संचालन से यूपी-112 की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा जनमानस को समयबद्ध, त्वरित एवं प्रभावी पुलिस सहायता सुनिश्चित हो सकेगी । यह पहल अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को और मजबूत करेगी।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वाहनों के बेहतर रखरखाव एवं प्रभावी उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

SPEL कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को मिला पुलिसिंग का व्यवहारिक प्रशिक्षण — पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपदभर में चला जागरूकता अभियान

छात्रों को पुलिस व्यवस्था से जोड़ने एवं कानून व्यवस्था की व्यावहारिक जानकारी देने के उद्देश्य से SPEL (Student Police Experiential Learning) कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा व उनके आदेशानुसार जनपद के समस्त थाना व पुलिस कार्यालयों द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इस कार्यक्रम के माध्यम से स्नातक स्तर के छात्रों को पुलिसिंग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई, जिनमें--

☐ कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया
☐ एफआईआर दर्ज करने की विधि
☐ साइबर अपराध से बचाव
☐ महिला सुरक्षा कानून
☐ यातायात नियम
☐ आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका

शामिल रहे।
प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्रों को व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से पुलिस कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया तथा उनके प्रश्नों का समाधान भी किया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा पुलिस और समाज के बीच विश्वास को मजबूत करना है।
जनपद पुलिस का यह प्रयास छात्रों के भविष्य निर्माण एवं समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

❖ ***SPEL – Student Police Experiential Learning के तहत स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को पुलिसिंग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु एक विशेष ओरिएंटेशन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए आवश्यक सख्त दिशा-निर्देश-***

<u>*SPEL- कार्यक्रम के प्रमुख प्रशिक्षण बिंदु:-*</u>

01. आपराधिक कानूनों एवं प्रक्रियाओं का आधारभूत ज्ञान- विद्यार्थियों को भारतीय न्याय संहिता-2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (BNSS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) सहित विभिन्न विधिक प्रावधानों की मूलभूत जानकारी दी गई। FIR, गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती आदि प्रक्रियाओं के मानक नियमों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की जाए।

02. आपराधिक अन्वेषण (Criminal Investigation) का अनुभव- पुलिस द्वारा अपराध की सूचना प्राप्त करने से लेकर केस डायरी, साक्ष्य संकलन, तकनीकी उपकरणों का प्रयोग, Forensic तकनीकों एवं न्यायालय में प्रस्तुतिकरण तक की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन कराया जाए।

03. यातायात प्रबंधन (Traffic Management)- विद्यार्थियों को यातायात नियंत्रण, नियमों का पालन, दुर्घटना रोकथाम के उपाय, चेकिंग प्रक्रिया तथा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की जानकारी दी गई। ट्रैफिक सिग्नल्स, रोड सेफ्टी एवं हेलमेट/सीट बेल्ट जागरूकता पर भी प्रशिक्षण दिया जाए।

04. कानून-व्यवस्था एवं सामान्य पुलिसिंग का आधारभूत ज्ञान- भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, सार्वजनिक आयोजन, पेट्रोलिंग, बीट सिस्टम सहित पुलिस की रोजमर्रा की गतिविधियों से संबंधित जानकारी दी गई। SHO/थाना स्तर की कार्यप्रणाली भी साझा की जाए।

05. नशा उन्मूलन सम्बन्धी ज्ञान (Anti-Drug Awareness & Control)- नशा तस्करी के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई, NDPS Act की मुख्य धाराएँ, नशे के दुष्प्रभाव, अवैध मादक पदार्थों की पहचान, तथा समाज में नशा उन्मूलन के लिए जनजागरूकता की भूमिका पर प्रशिक्षण दिया जाए।

दबिश के दौरान 07 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 वारण्टी नाम पता 01. नसीम पुत्र इकबाल निवासी सिरसिहवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, उ0नि0 श्री अजीत कुमार यादव, सूर्यप्रकाश यादव, का0 अतीश यादव, का0 सुनील पाल, का0 सत्येन्द्र कुमा यादव

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 03 वारण्टी नाम पता 01. सहरे आलम उर्फ शहरे आलम पुत्र पंजाबी निवासी उंचहरा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। 02 रामधनी 03 रामललित पुत्रगण फौजदार निवासीगण कुड़ीमनमन थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सचिन्द्रनाथ राय, उ0नि0 श्री रामसूरत प्रसाद, हे0का0 अरुण प्रजापती, का0 भीम कुमार, का0 रंजन कुमार,

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 03 वारण्टी नाम पता 01.मेवालाल पुत्र रामलखन 02.श्रीमती कुमारी पत्नी रामकिशुन 03.श्रीमती कुमारी पत्नी भोला निवासीगण झुंगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण**:-* उ0नि0 श्री राममिलन साहनी, कां0 शैलेन्द्र यादव, म0का0 कुमकुम मिश्रा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6004 द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6004 को थाना मुहली क्षेत्रांतर्गत नोक्ता से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (01.रीता पत्नी धर्मेन्द्र 02.धर्मेन्द्र पुत्र राजमणि निवासीगण ग्राम चपरापूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को निजी वाहन की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 उपेन्द्र कुमार, का0 चन्द्रशेखर सिंह, हो0गा0 चालक सुनिल गोंड।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 148 वाहनों से 1,88,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 02.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 148 वाहनों से 1,88,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक धनघटा श्री जय प्रकाश दूबे की की गठीत टीम द्वारा मु0अ0सं0 058/26 धारा 2(b)(ii),3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 01. लालकेश उर्फ केसे पुत्र स्व0 चौथी 02. सिकन्दर निषाद पुत्र लालचन्द निषाद निवासीगण तुर्कवलिया नायक थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 02.02.2026 को विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. लालकेश उर्फ केसे पुत्र स्व0 चौथी निषाद निवासी तुर्कवलिया नायक थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

02. सिकन्दर निषाद पुत्र लालचन्द निषाद निवासी तुर्कवलिया नायक थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

आपराधिक इतिहास

01 लालकेश उर्फ केसे

1. मु0अ0सं0 540/2025 धारा 274 बीएनएस व 60(1),60(2) आबकारी अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

02 सिकन्दर निषाद

मु0अ0सं0 540/2025 धारा 274 बीएनएस व 60(1),60(2) आबकारी अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, का0 रवि चौरसिया, का0 अनिल प्रसाद।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय की गठीत टीम द्वारा मु0अ0सं0 62/ 2026 धारा 3(1)/2(b)(ii) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रदीप चौधरी पुत्र रामजी निवासी कुर्थिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 02.02.2026 को विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. प्रदीप चौधरी पुत्र रामजी निवासी कुर्थिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 837/2025 धारा 20/8 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाठक, उ0नि0 श्री इल्ताफ खां।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 61 स्थानों पर 2059 वाहनों को किया गया चेक।

☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 81 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 02 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म।

☐ मिशन शक्ति 5.0अभियान के तहत 02 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।

☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1030 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 02.02.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- जनपद के समस्त थानों द्वारा 66 स्थानों पर 1458 व्यक्तियों को किया गया चेक।
- 34 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया।
- 48 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही।
- 710 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 07 स्थानों पर 100 व्यक्तियों को चेक किया गया, 80 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 12 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 207 व्यक्तियों को चेक किया गया, 02 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई, 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 06 स्थानों पर 194 व्यक्तियों को चेक किया गया, 110 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर 196 व्यक्तियों को चेक किया गया, 03 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 75 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 21 स्थानों पर 256 व्यक्तियों को चेक किया गया, 26 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 210 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06 .थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 190 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 55 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 150 व्यक्तियों को चेक किया गया, 45 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 05 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों 120 व्यक्तियों को चेक करते हुए 95 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, तथा 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 45 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।